प्रेस नोट - थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 21.09.2026

थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा चिता की आग में मीट पकाने, विरोध करने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 20.09.2026 को वादी वीरपाल पुत्र छोटेलाल नि0ग्रा0 नत्थापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 -571/2026 धारा 301/352/351(3) बीएनएस बनाम 1. रामचरन पुत्र रामलाल 2. राजेन्द्र पुत्र झब्बूलाल 3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामेन्द्र, निवासीगण ग्राम नत्थापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध बावत वादी के पिता की चिता की आग में मीट पकाने तथा वादी द्वारा विरोध करने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. रामचरन 2. राजेन्द्र 3. सुरेन्द्र उपरोक्त को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.09.2026 को ग्राम नत्थापुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-</u>

1. रामचरन पुत्र रामलाल, निवासी ग्राम नत्थापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 40 वर्ष।
2. राजेन्द्र पुत्र झब्बूलाल, निवासी ग्राम नत्थापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 32 वर्ष।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामेन्द्र, निवासी ग्राम नत्थापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 35 वर्ष।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u>

मु०अ०सं० - 571/26 धारा 301/352/351(3) बीएनएस, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामचरन-</u>

1. मु0अ0सं0 571/26 धारा 301, 352, 351(3) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 53/26 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजेन्द्र-</u>

1. मु0अ0सं0 571/26 धारा 301, 352, 351(3) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

2. मु0अ0सं0 47/16 धारा 147, 148, 149, 354, 376, 395, 452, 504, 506, 511 बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

व0उ0नि0 अशोक कुमार, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
उ0नि0 रामवीर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
का0 अक्षय बालियान, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
का0 विष्णु कुमार, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।